

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 02 सितम्बर, 2009
विषय:- जनता की समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण के संबंध
में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1154 / 43-2-2007,
दिनांक 20 मई, 2007 तथा पत्र संख्या-1076 / 43-2-2009 दिनांक 17
जून, 2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 20 मई, 2007 द्वारा यह निर्देश दिये गये
थे कि शासन के विभिन्न विभागों के समस्त कार्यालयों के समस्त
अधिकारी / कर्मचारी अपने कार्यालय पर चाहे वह कार्यालय ब्लाक स्तर,
थाना स्तर, तहसील स्तर अथवा किसी भी अन्य स्तर पर स्थित है, पर
मंगलवार तथा रविवार को छोड़कर शेष सभी कार्य-दिवसों पर पूर्वाह्न
10:00 बजे से 12:00 बजे के मध्य मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध
रहकर जनता की समस्याओं व शिकायतों को सुनेंगे तथा उन्हें पंजीबद्ध
करके शासन द्वारा पूर्व में निर्धारित समय सीमा के अनुरूप उनका निस्तारण
सुनिश्चित करेंगे।

3- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 20 मई, 2007 में की गयी व्यवस्था को
कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के शासनादेश संख्या-3275 / 31-2009

-109/2009, दिनांक 19 अगस्त 2009 के परिप्रेक्ष्य में आंशिक रूप से संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक स्तर पर सोमवार, बृहस्पतिवार एवं शुकवार को जनसमस्याओं के निराकरण हेतु प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर जनता की समस्याओं व शिकायतों को सुना जाय तथा उन्हें पंजीबद्ध करके शासन द्वारा पूर्व में निर्धारित समय सीमा के अनुरूप उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 20 मई, 2007 में की गई शेष व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा अनुपालन आख्या कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,


अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव।

संख्या-1656(1)/43-2-2009, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
- 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ० प्र०।
- 3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ० प्र० शासन।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष, उ० प्र०।
- 5- पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० लखनऊ।
- 6- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ० प्र०।
- 7- कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ० प्र० शासन।

आज्ञा से,


(अजय कुमार जोशी)
प्रमुख सचिव।